न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/2830/2002/बाडमेर

मुरारदान पुत्र गोविन्द दान जाति चारण निवासी गांव गूंगा तहसील शिव जिला बाडमेर

अपीलार्थी

बनाम

1 भूरदान पुत्र हरदान
2 दुर्गा दान पुत्र इन्द्र दान
3 सुमेर दान पुत्र इन्द्र दान
4 ओम दान पुत्र इन्द्र दान सभी जाति चारण निवासीयान गांव गूंगा तहसील शिव
5 राज्य सरकार

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री विरेन्द्रसिंह राठौड वकील अपीलार्थी
श्री योगेन्द्रसिंह शक्तावत वकील प्रत्यर्थीगण
श्रीमती पूनम माथुर अति. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 05-03-2020

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर जैसलमेर मु0 जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 99/2001 में पारित निर्णय दिनांक 27.2.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थीगण ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत प्रतवादी अपीलार्थी के विरूद्ध सहायक कलक्टर मु0 बाडमेर में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गूंगा की आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 538 बीघा 13 बिस्वा में वादी संख्या 1 का 1/3

हिस्सा तथा वादी संख्या 2 से 4 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थी का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने 1/3 हिस्से की कुल 179 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 90 बीघा भूमि का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.7.66 से अलसाराम को कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 43 दिनांक 16.4.67 को स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा अर्थात 89 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज की गई। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से 18 बीघा भूमि का बेचान प्रतापाराम वगैरा के पक्ष में किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 760 स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के पास उक्त आराजी के अलावा सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने पर प्रतितवादी संख्या 2 ने अपने निर्णय दिनांक 18.5.94 के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा अंकित होने से 1/3 हिस्सा मानते हुए 143.11 बीघा भूमि अधिग्रहित करली जबकि विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा होने से मात्र 89.11 बीघा भूमि ही अधिग्रहित की जा सकती है। इस प्रकार वादीगण के हिस्से की 54 बीघा भूमि गलत रूप से अधिग्रहित कर ली गई। जिसका वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकाबली जबाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 10.5.2001 से वादीगण का वाद स्वीकार कर वादी को उक्त 54 बीघा का खातेदार घोषित करते हुए तहसीलदार, शिव को आदेश दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 की तहसील क्षेत्र में स्थित अन्य आराजी में से उक्त आराजी के बराबर भूमि खालसा कराने की कार्यवाही करें। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर जैसलमेर मु0 जोधपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27.2.2002 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलार्थी की अन्य आराजी को खालसा किये जाने का आदेश दिया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि पत्रावली सीलिंग अधिनियम कार्यवाही के अन्तर्गत निर्णित नहीं की जानी थी। राज्य सरकार ने प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा 90 बीघा भूमि का बेचान किया जाना एवं विवादित भूमि में प्रतिवादी अपीलार्थी का 1/6 हिस्सा की 89.11 बीघा भूमि होना स्वीकार किया है तो उस अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिये थी। सीलिंग के आदेश की अलग से अपील हुई है जो जैरकार है। इकबाली जबाबदावा वादी के हिस्से व खातेदारी की भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किये

जाने के संबंध में दिया गया है। विचारण न्यायालय वाद एवं प्रतिवाद अर्थात पक्षकारों के अभिवचन से बाहर जाकर निर्णय नहीं दे सकते। घोषणा के वाद में सीलिंग कार्यवाही को प्रभावित करने वाला आदेश नहीं दिया जा सकता। सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय को पृथक से चुनौति दी जा सकती है। परन्तु घोषणा के बाद में सीलिंग मामले की समीक्षा कर नई भूमि सीलिंग में लेने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। हमारी व्यथा इसी सीमा तक है। शेष निर्णय हमें प्रभावित नहीं करता। इस कारण इस समय उस पर कुछ नहीं कहना है और उसे इस समय हम चुनौति नहीं देते हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी में प्रतिवादी अपीलार्थी मुरारदान का 1/3 हिस्सा था परन्तु वर्ष 1966 में 90 बीघा भूमि का बेचान कर दिये जाने के बाद उसका 1/6 हिस्सा ही रह गया परन्तु राजस्व अभिलेख में 1/3 हिस्सा दर्ज रहने से सीलिंग कार्यवाही में 143.11 बीघा भूमि अधिग्रहित की गई जिसमें 54 बीघा मुरारदान के हिस्से (1/6 हिस्से) से अधिक अधिग्रहित की गई है जो वादी प्रत्यर्थीगण के हिस्से की भूमि है जिसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। सीलिंग के संबंध में अपील की कार्यवाही अलग से जैरकार है, वहां अपना पक्ष रखें।अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिया गया समवर्ती निर्णय विधि अनुरूप होने से यह अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अपील केवल इनके बारे में कार्यवाही करने के आदेश के विरूद्ध की है जो दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय को देखते हुए उचित है। इन्होंने नीचे इकबाली जबाबदावा दिया था। जहां तक अप्रार्थीगण की भूमि को छोडने का प्रश्न है, उसके बारे में इस समय इस संबंध में कथन नहीं कहेंगी और अपने कथन का अधिकार सुरक्षित रखेंगी क्योंकि यह बिन्दु इस अपील द्वारा चुनौतिग्रस्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. वादीगण ने अपने वाद में यह अनुतोष चाहा है कि विवादित आराजी में प्रतिवादी अपीलार्थी मुरारदान का पहले 1/3 हिस्सा था परन्तु वर्ष 1966 में मुरारदान द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से 90 बीघा भूमि का बेचान कर दिये जाने तथा उसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत होने के बाद मुरारदान का 1/6 हिस्सा रहा परन्तु राजस्व अभिलेख में 1/3 हिस्सा ही दर्ज जाने से सीलिंग

कार्यवाही में 1/3 हिस्सा मानकर 143 बीघा 11 बिस्वा भूमि अधिग्रहित की गई है जिसमें 54 बीघा वादीगण के हिस्से की अधिग्रहित की गई है। प्रतिवादी अपीलार्थी ने इकबाली जबाबदावा प्रस्तुत कर इसे स्वीकार किया है। प्रतिवादी राज्य पक्ष ने भी विवादित भूमि में मुरारदान द्वारा विक्रय किये जाने के बाद उसके हिस्से में 1/6 हिस्से के अनुसार 89.11 बीघा भूमि ही रह जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि में मुरारदान के में उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी में हिस्से 1/6 हिस्से में 89.11 बीघा भूमि ही रही है। परन्तु सीलिंग में गणना करते समय राजस्व अभिलेख में 1/3 हिस्सा दर्ज होने से 143 बीघा 11 बिस्वा भूमि अधिग्रहित की गई है जो मुरारदान के हिस्से से अधिक भूमि अधिग्रहित की गई है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा मुरारदान के हिस्से में विवादित आराजी मेंसे अधिग्रहित की गई भूमि में से 54 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया है जिसे किसी पक्षकार ने चुनौति नहीं दी है। इस कारण उस पर चुनौति के अभाव में विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है और इस निर्णय द्वारा उसके गुणावगुण पर विचार नहीं किया जा रहा है। और वह स्थिति इस निर्णय से अप्रभावित होकर विधि अनुसार रहेगी तथा उसे चुनौति देने का पक्षकारें का अधिकार इस निर्णय से अप्रभावित होकर विधि अनुसार रहेगा।

8. परन्तु यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी में मुरारदान का 1/6 हिस्सा ही था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा मुरारदान के खातेदारी की अन्य आराजीयात में से उक्त रकबे को खालसा किये जाने का आदेश देने में क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है क्योंकि विवादित आराजी में मुरारदान के हिस्से की भूमि 89.11 बीघा ही है जो अधिग्रहित की जा चुकी है तो उसके हिस्से से अधिक मानकर की गई कार्यवाही को उचित मानते हुए अन्य आराजी को खालसा किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि सीलिंग सीमा से सम्बन्धित विधिक प्रावधानों में दिए आदेश को चुनौति देकर अधिग्रहण के बारे में किसी अन्य रकबे को लेने का आदेश दिया जा सकता था किन्तु घोषणा के वाद में किसी रकबे का अधिग्रहण करने की कार्यवाही का निर्देश उचित नहीं था क्योंकि पूर्व में जो अधिग्रहण आदेश था उसे चुनौतिग्रस्त किया जाता। बहस में कथन यह आया है कि सीलिंग प्रकरण की अपील होकर जैरकार है। सीलिंग सम्बन्धी पूर्व में दिए आदेश की कोई अपील या पक्षकारों द्वारा उसे चुनौति देने का अधिकार इस अपील से अप्रभावित होकर विधि अनुसार रहेगा। ऐसी स्थिति को यह निर्णय न तो कोई बल देगा और न ही बलहीन करेगा। वह स्थिति इस निर्णय से अप्रभावित होकर विधि अनुसार रहेगी। ऐसी स्थिति में हम यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

9. अतः उपराक्त विवेचन के अनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादीगण को 54 बीघा का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश को उपरोक्तानुसार उसे पक्षकारें द्वारा इस अपील के द्वारा चुनौतिग्रस्त नहीं करने से इस अपील के निर्णय से अप्रभावित रखा जाता है तथा शेष आदेश निरस्त किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य